

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 290] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 16, 1979/आषाढ़ 25, 1901
No. 290] NEW DELHI, MONDAY, JULY 16, 1979/ASADHA 25, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1979

का. आ. 407(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./79.—उद्योग (विकास और विनिय-
मन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक द्वारा प्रवृत्त शक्तियाँ का
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के
आदेश सं. का. आ. 352(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./77 दिनांक 23 दिसम्बर,
1977 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त आवेग मँ सदस्य शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात् :—

4. श्री एस. सुन्दरराजन,
मैनेजर, (टेक्नीकल),
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम,
चटर्जी अन्तराष्ट्रीय सेंटर (तीसरी मंजिल),
33-ए., चौरंगी रोड,
कलकत्ता-700071।

[फा. सं. 2(44)/77-सी. यू. सी.]

बी. राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 16th July, 1979

S.O. 407(E)/18AA/IDRA/79.—In exercise of the powers conferred by Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India, in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 852(E)/18AA/IDRA/77 dated 23rd December, 1977, namely :—

In the said Order under the heading "Members" :—

- (1) For serial No. 4 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted namely :—

"4. Shri S. Sundararajan,
Manager (Technical), Industrial Finance Corporation of India,
Chatterjee International Centre, 3rd Floor,
33-A, Chowringhee Road,
Calcutta-700071."

[F. No. 2(44)/77-CUC]

B. ROY, Joint Secy.